



2026:AHC: 19165-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील अंतर्गत धारा 413 बीएनएसएस संख्या- 40/2026

राजकुमार

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अभिनव सिंह, अजीत दीक्षित

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II

बी.एन.एस.एस. की धारा 413 के अंतर्गत वर्तमान अपील अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या- 1, सोनभद्र द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 140 वर्ष 2019 अंतर्गत धारा 302/34, 201 और 120- बी भा.द.सं, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र से उत्पन्न सत्र वाद संख्या 98 वर्ष 2019 में पारित दोषमुक्ति के निर्णय दिनांक 20.11.2025 के विरुद्ध दायर किया गया है।

दिनांक 24.02.2019 को एक बिना सिर वाला शव मिलने के बाद, दिनांक 17.03.2019 को शाम 7:20 बजे अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 140 वर्ष 2019, धारा 302 और 201 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया था। मृतक की पहचान संतोष कुमार के रूप में हुई। एफ.आई.आर. में कहा गया है कि संतोष कुमार दिनांक 21.02.2019 को शाम 5:00 बजे अपने घर से निकला था। मृतक वापस नहीं लौटा और दिनांक 24.02.2019 को रात 10:00 बजे, सूचनादाता को मृतक के ससुर का फोन आया कि सुकृत हनुमान घाटी के पास एक बिना सिर वाला और क्षत-विक्षत शव मिला है। शव की पहचान मृतक के जांघिया और बनियान के आधार पर तथा मृतक के दाहिने तलवे पर चोट के निशान के आधार पर की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि शव की पहचान स्वयं सूचनादाता द्वारा की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक की माँ द्वारा दर्ज कराई गई थी। पुलिस को बुलाया गया और शव का पंचायतनामा करने के बाद, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पोस्टमार्टम दिनांक 26.02.2019 को अपराह्न 3:00 बजे से 4:30 बजे के बीच किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, शव-परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मृत्यु लगभग 96 घंटे पूर्व हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया है कि कोई पहचान चिह्न नोट नहीं किए गए क्योंकि शरीर सड़ने की स्थिति में था। मृतक के डी.एन.ए. परीक्षण के लिए आवश्यक नमूने भी डॉक्टर द्वारा एकत्र किए गए और परीक्षण के लिए भेजे गए।

विवेचना के बाद, पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302/201/120-बी भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। विपक्षी संख्या 4 मृतक की विधवा है, जबकि विपक्षी संख्या 3 मृतक का रिश्तेदार है। वाद विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया और अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302/34, 201 और 120-बी भा.द.सं. के अंतर्गत सत्र विचारण संख्या 98 वर्ष 2019 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग किया अभियोजन ने आठ साक्षीगण को परीक्षित किया। पी.डब्ल्यू.-6 से पी.डब्ल्यू.-8 औपचारिक साक्षी हैं। पी.डब्ल्यू.-1 से पी.डब्ल्यू.-3 अभियोजन के वाद को सिद्ध करने के साक्षी हैं और पी.डब्ल्यू.-4 पंचायतनामा का साक्षी है। शव-परीक्षण करने वाले डॉक्टर का अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू.-5 के रूप में परीक्षण किया गया।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह था कि विपक्षी संख्या 4, अर्थात् मृतक की विधवा के विपक्षी संख्या 3, अर्थात् मोनू पटेल के साथ अवैध संबंध थे और अभियुक्तों ने मृतक की हत्या करने की साजिश रची, जिसे उन्होंने अपने संबंधों में बाधा माना। उक्त साजिश के अग्रसरण में, अभियुक्तों, अर्थात् विपक्षी संख्या 2 और 3 ने मृतक की हत्या कर दिया। अपराध का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और अभियोजन का वाद यह था कि विपक्षी संख्या 2 और 3 को अंतिम बार दिनांक 21.02.2019 को मृतक के साथ देखा गया था।

अभियोजन ने यह सिद्ध करने के लिए पी.डब्ल्यू.-2 लाल बहादुर को परीक्षित किया कि मृतक को अंतिम बार दिनांक 21.02.2019 की शाम को अभियुक्तों के साथ देखा गया था। साक्षी ने कहा था कि मृतक को दिनांक 21.02.2019 को शाम 6:00 से 7:00 बजे के बीच चंडी होटल के पास ऑल्टो कार में विपक्षी संख्या 2 और 3 के साथ बैठे देखा गया था। उल्लेखनीय विशेषता यह है कि भले ही मृतक दिनांक 21.02.2019 से लापता था और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17.03.2019 को पंजीकृत की गई थी, लेकिन विवेचना अधिकारी को यह सूचित करने वाले साक्षी का धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत बयान कि मृतक को 21.02.2019 की शाम को विपक्षी संख्या 2 और 3 के साथ अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देखा गया था, वह दिनांक 16.04.2019 को अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के एक महीने बाद दर्ज किया गया था।

अभियोजन द्वारा मृतक की विधवा और विपक्षी संख्या 3 के बीच अवैध संबंधों को सिद्ध करने के लिए पी.डब्ल्यू.-1 राज कुमार को परीक्षित किया गया था। साक्षी ने यह भी कहा कि उसने शव की पहचान संतोष कुमार के रूप में शरीर के दाहिने तलवे पर चोट के निशान से किया था, क्योंकि उसने बचपन से ही मृतक की देखभाल की थी और वह मृतक का चाचा भी था। अपने साक्ष्य में, साक्षी ने यह भी कहा कि उसने विवेचना अधिकारी को सूचित किया था कि साक्षी के साथ-साथ सूचनादाता, अर्थात मृतक की माँ ने शव की पहचान मृतक के रूप में की थी। साक्षी के साक्ष्य में उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उसका यह दावा कि शव की पहचान मृतक की माँ द्वारा भी की गई थी, उन अन्य साक्षीगण द्वारा पुष्ट नहीं हुआ है, जो शव की पहचान के समय उपस्थित थे। पी.डब्ल्यू.-1 का साक्ष्य कि शव की पहचान मृतक की माँ द्वारा की गई थी, मौके पर उपस्थित अन्य साक्ष्यों, अर्थात पी.डब्ल्यू.-2, पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-4, जो पंचायतनामा के भी साक्षी हैं, द्वारा पुष्ट नहीं होता है। पी.डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य में अन्य उल्लेखनीय विशेषता, जो विचारण न्यायालय के निर्णय से सामने आता है, वह यह है कि साक्षी एक हितबद्ध साक्षी था और मृतक के उत्तराधिकारियों के हितों का विरोधी था। विचारण न्यायालय के निर्णय से यह सामने आता है कि मृतक की माँ ने अपने पोते, अर्थात मृतक के पुत्र के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थी, जिसका साक्षी एक 'साक्षी' था, लेकिन जब वसीयत दाखिल-खारिज की कार्यवाही में प्रस्तुत की गई, तो साक्षी ने मृतक के पोते के पक्ष में दाखिल-खारिज का विरोध करते हुए, अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। बचाव पक्ष ने डी.डब्ल्यू.-3 के रूप में पी.डब्ल्यू.-1 की बड़ी बहन को परीक्षित किया था, जिसने साक्षी की विश्वसनीयता पर यह कहकर प्रहार किया कि साक्षी लालची था और दूसरों की संपत्ति हड़पने का आदी था। अपनी गवाही में, डी.डब्ल्यू.-3 ने कहा था कि साक्षी के मृतक के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे।

यह अभिकथन कि मृतक की विधवा के विपक्षी संख्या 3 के साथ अवैध संबंध थे, वह भी अनुश्रुत पर आधारित पाया गया। अपनी प्रति-परीक्षा में, पी.डब्ल्यू.-1 ने कहा था कि वह मृतक की विधवा के अवैध संबंधों के बारे में बयान अन्य ग्रामीणों से सुनी गई बातों के आधार पर दे रहा था। पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 अभियोजन द्वारा परीक्षित मुख्य साक्षी थे। पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 के उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक की विधवा और विपक्षी संख्या 3 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बीच अवैध संबंधों का दावा सिद्ध नहीं हुआ है। अभियोजन विपक्षीगण द्वारा मृतक की हत्या करने के उद्देश्य को सिद्ध करने में विफल रहा। यह स्थापित विधि है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के वाद में उद्देश्य विचार किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।

जहाँ तक अभियोजन के इस दावे का संबंध है कि मृतक को अंतिम बार विपक्षी संख्या 2 और 3 के साथ देखा गया था, उसे विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विपक्षी संख्या 2 और 3 के कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने यह सिद्ध नहीं किया कि दिनांक 21.02.2019 या 22.02.2019 को विपक्षी संख्या 2 और 3 उस स्थान के पास थे, जहाँ कथित तौर पर अपराध किया गया था और शव मिला था।

यहाँ तक कि शव की पहचान मृतक के रूप में होना भी सिद्ध नहीं हुआ है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा भेजे गए मृतक के डी.एन.ए. विश्लेषण से यह पुष्टि नहीं होती है कि मृतक का डी.एन.ए. उसके पुत्र के डी.एन.ए. से मेल खाता है। अभियोजन ने दावा किया कि शव की पहचान मृतक के दाहिने तलवे पर चोट के निशान से की गई थी, जो कि संदिग्ध भी है क्योंकि पी.डब्ल्यू.-5, अर्थात् शव-परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने अपने साक्ष्य में कहा था कि शरीर सड़ने की स्थिति में था और शव पर कोई चोट का निशान या अन्य पहचान चिह्न नोट नहीं किए जा सके। पी.डब्ल्यू.-1 का यह दावा कि शव की पहचान मृतक की माँ द्वारा भी की गई थी, उसे भी विचारण न्यायालय द्वारा झूठा पाया गया है क्योंकि यह पाया गया कि मृतक की माँ और विधवा उस स्थान पर नहीं गई थीं, जहाँ शव मिला था। विचारण न्यायालय के निर्णय से यह भी सामने आता है कि अभियोजन मृतक की हत्या करने के लिए मृतक की विधवा और अन्य अभियुक्तों के बीच किसी भी साजिश को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कॉल डिटेल रिकॉर्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत आवश्यक रूप से प्रमाणित नहीं थे, इसलिए, अभियोजन के वाद पर विचार करते समय विचारण न्यायालय द्वारा उन पर भरोसा नहीं किया गया है।

1हमने यह भी नोट किया है कि पी.डब्ल्यू.-2 द्वारा कथित तौर पर दिए गए अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य में कहा गया है कि विपक्षी संख्या 2 और 3 को दिनांक 21.02.2019 को शाम 6:00 बजे मृतक के साथ देखा गया था। शव का पोस्टमार्टम दिनांक 26.02.2019 को अपराह्न 3:00 से 4:30 बजे के बीच किया गया था। रिपोर्ट नोट करती है कि मृत्यु लगभग 96 घंटे पहले हुई थी। स्पष्ट रूप से, चिकित्सीय साक्ष्य से, मृत्यु का समय 22.02.2019 की दोपहर है। भले ही अभियोजन के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस दावे को स्वीकार कर लिया जाए कि मृतक को दिनांक 21.02.2019 को शाम लगभग 6:00 बजे विपक्षी संख्या 2 और 3 के साथ देखा गया था, फिर भी यह अभियुक्तों को संलिप्त करने या उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अभियुक्तों को दिनांक 21.02.2019 को मृतक के साथ देखे जाने के साक्ष्य को विपक्षी संख्या 2 और 3 को आरोपित करने के लिए पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं माना जा सकता है।

हमने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि शव दिनांक 24.02.2019 को मिला था। प्रथम सूचना रिपोर्ट, उसी तिथि को पंजीकृत होनी चाहिए थी। हालांकि, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17.03.2019 को पंजीकृत की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाद में अभियुक्त के रूप में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक की माँ के कहने पर पंजीकृत की गई है। यदि पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 का यह दावा कि विपक्षी संख्या 2 और 3 को अंतिम बार दिनांक 21.02.2019 को अभियुक्तों के साथ देखा गया था और आगे अपराध का उद्देश्य मृतक की विधवा और अभियुक्तों में से एक के बीच अवैध संबंध थे, तो साक्षी का उक्त तथ्य की सूचना मृतक की माँ को न देना और मृतक की माँ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तों का नाम न लेना भी अभियोजन के वाद के प्रति संदेह पैदा करता है।

उपरोक्त कमियों को विचारण न्यायालय द्वारा भी नोट किया गया है। हमें विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष से असहमत होने का कोई कारण नहीं मिलता है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध अपना वाद उचित संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा।

अपील में गुण-दोष का अभाव है और इसे **खारिज** किया जाता है।

वर्तमान निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद पत्रावली को अभिलेखागार में संचित किया जाए।

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

28 जनवरी, 2026

विपाशा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।